

राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : प 1(1)(70) मअ/स्था/2008/ 88115
आदेश

जयपुर, दिनांक:
24-05-2018

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियमों के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर मंत्रालयिक सेवा के निम्नांकित कनिष्ठ सहायकों को वरिष्ठ सहायक लेवल-8 पै-मैट्रिक्स (26300-83500) के पद पर वर्ष 2017-18 व 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	रिक्ति वर्ष	पदोन्नति दिनांक
1	श्री हरिओम रावत	2017-18	1.4.2017
2	श्री माधोसिंह	2018-19	1.4.2018
3	श्री निहाल सिंह	2018-19	1.4.2018
4	श्री हिमांशु महोलिया	2018-19	1.4.2018

उक्त पदोन्नत कार्मिकों को वित्तीय लाभ कार्यग्रहण दिनांक से देय होगा।



(निशा मीना)

आयुक्त

महिला अधिकारिता

राजस्थान, जयपुर।

जयपुर, दिनांक:

24-05-2018

क्रमांक : प 1(1)(70) मअ/स्था/2008/ 88116-25
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, जयपुर।
2. लेखाधिकारी, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
3. श्री हरिओम रावत, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक निदेशक, मअ, झालावाड।
4. श्री माधोसिंह, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक निदेशक, मअ, भरतपुर।
5. श्री निहाल सिंह, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक निदेशक, मअ, दौसा।
6. श्री हिमांशु महोलिया, वरिष्ठ सहायक, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
7. सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, झालावाड, भरतपुर, दौसा।
8. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-2 (बजट), महिला अधिकारिता, जयपुर।
9. कैशियर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
10. आदेश पत्रावली।

11. ACP(DD), महिला अधिकारिता, मुख्यालय को
विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।



अतिरिक्त निदेशक,
महिला अधिकारिता